मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल – 462004

Website : www.mpmandiboard.co.in E-mail : eanugya@gmail.com Tel: 0755-2553429

क्रमांक/बी–5/2/ई–अनुज्ञा (ऑ.ला.)/2019–20/1224 भोपाल दिनांक 28 अगस्त 2019

प्रति,

संयुक्त संचालक/उप संचालक,
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय,
भोपाल/इंदौर/उज्जैन/ग्वालियर/सागर/जबलपुर/रीवा (म0प्र0)

विषयः–ई–अनुज्ञा कियान्वयन अंतर्गत दैनिक मॉनिटरिंग करने संबंधी।

–0–

दिनांक 16 अगस्त 2019 से प्रदेश की समस्त 257 मण्डी समितियों में एक साथ ई–अनुज्ञा पोर्टल का कियान्वयन आरम्भ किया गया है, जिसमें शतप्रतिशत ई–अनुज्ञा जारी किये जा रहे हैं।

ई–अनुज्ञा पोर्टल का कियान्वयन अंतर्गत विभिन्न व्यापारी संगठनों, संघ एवं कुछ मण्डी सचिवों से प्राप्त सुझावों पर दिनांक 21 अगस्त 2019 को मण्डी बोर्ड मुख्यालय में बैठक अपर संचालक (नियमन/ई–अनुज्ञा) महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिसमें मण्डी बोर्ड मुख्यालय के संयुक्त संचालक (नियमन/ई–अनुज्ञा), चीफ प्रोग्रामर, प्रोग्रामर, ई–अनुज्ञा कंसलटेंट एवं श्री मनोज सबरवाल, सहायक उपनिरीक्षक, भोपाल मण्डी एवं समस्त आंचलिक संयुक्त/उप संचालक व उनके साथ बुलाये गये एक–एक मण्डी सचिव विशेष रुप से उपस्थित हुये थे।

इस बैठक में सर्वसम्मिति से लिये गये निर्णय अनुसार "ई–अनुज्ञा पोर्टल कियान्वयन अंतर्गत विभिन्न व्यापारी संगठनों, संघ एवं कुछ मण्डी सचिवों से प्राप्त सुझावों/कठिनाईयों (बिन्दु क्रमांक 01 से 33 तक) का बिन्दुवार विवरण मय साफ्टकापी के संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। कृपया "मण्डी नियमन व्यवस्था" अंतर्गत इनका बिन्दुवार परीक्षण करते हुये 03 दिवस की समय सीमा में स्पष्ट अभिमत सहित अपना प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(डॉ.केदार सिंह)
अपर संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बी–5/2/ई–अनुज्ञा (ऑ.ला.)/2019–20/1225 भोपाल दिनांक 28 अगस्त 2019
प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(01) निज सहायक, प्रबंध संचालक महोदय के, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।

(02) अपर संचालक (वित्त), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।

(03) संयुक्त संचालक (नियमन व ई–अनुज्ञा)/सहायक संचालक (नियमन), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल :–"ई–अनुज्ञा पोर्टल" कियान्वयन अंतर्गत विभिन्न व्यापारी संगठनों, संघ एवं कुछ मण्डी सचिवों से प्राप्त सुझावों/कठिनाईयों संबंधी पत्रों की प्रतियॉ मय साफ्टकापी के निर्धारित समय सीमा में अभिमत/कार्यवाही करने हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

अपर संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

संदर्भः–दिनांक 16 अगस्त से 20 अगस्त 2019 के मध्य विभिन्न व्यापारी संगठनों से ई–अनुज्ञा के संबंध में प्राप्त ज्ञापनों पर कार्यवाही टीप।

–0–

कमांक	विभिन्न व्यापारी संगठनों द्वारा उठाये गये बिन्दु।	कार्यवाही का विवरण	रिमार्क
1.	**सचिव, मण्डी समिति जावरा जिला रतलाम –** पत्र कमांक/मण्डी/ई–अनुज्ञा/2019–20/1753 दिनांक 16 अगस्त 2019। (दिनांक 17/08/2019 को प्राप्त) पूर्व में ई–अनुज्ञा मॉडयूल में दिनांक 30 जून 2019 तक मण्डी के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी को गैर अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी जो मण्डी के लायसेंसी नहीं होकर किराना व्यवसायी/अन्य व्यवसायी हैं, उन्हें अनुज्ञा पत्र द्वारा कृषि उपज विक्रय करने का विकल्प दिया गया था। परन्तु वर्तमान ई–अनुज्ञा प्रणाली पोर्टल पर उक्त विकल्प को विलोपित कर दिया गया है जिससे अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी द्वारा किराना व्यवसायी/अन्य व्यवसायी को 1 क्विंटल से 5 क्विंटल तक की किराना जिन्सों को विक्रय करने हेतु ऑनलाईन अनुज्ञा पत्र जारी नहीं होने से उक्त जिन्सों को विक्रय नहीं कर पा रहे हैं। अतः ई–अनुज्ञा पोर्टल में गैर अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को अनुज्ञा पत्र जारी करने का विकल्प उपलब्ध कराने संबंधी अनुरोध किया है।		

संदर्भः–दिनांक 16 अगस्त से 20 अगस्त 2019 के मध्य विभिन्न व्यापारी संगठनों से ई–अनुज्ञा के संबंध में प्राप्त ज्ञापनों पर कार्यवाही टीप।

–0–

कमांक	विभिन्न व्यापारी संगठनों द्वारा उठाये गये बिन्दु।	कार्यवाही का विवरण	रिमार्क
2.	**श्री वरुण मंगल, मंत्री, श्री इंदौर अनाज तिलहन व्यापारी संघ संयोगितागंज मण्डी, इंदौर–452001** का पत्र कमांक 37/2019 दिनांक 14 अगस्त 2019। (दिनांक 17/08/2019 को प्राप्त) **किसानी भुगतान पत्रक की एकजाई एण्ट्री –** कृषि उपज मण्डियों में प्रत्येक व्यापारी प्रतिदिन अनेक किसानों से कृषि उपज खरीदता है। पोर्टल पर प्रतिदिन प्रत्येक भुगतान पत्रक की एण्ट्री करना संभव नहीं है। उसके स्थान पर प्रतिदिन की जिन्सवार खरीदी की एकजाई एण्ट्री करने का प्रावधान होना चाहिये।		
	गैर–अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी को माल विकय – मण्डी व्यापारियों द्वारा गैर–अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को माल का विकय किये जाने की स्थिति में ई–अनुज्ञा बनाने का प्रावधान होना चाहिये।		

संदर्भः–दिनांक 16 अगस्त से 20 अगस्त 2019 के मध्य विभिन्न व्यापारी संगठनों से ई–अनुज्ञा के संबंध में प्राप्त ज्ञापनों पर कार्यवाही टीप।

–0–

कमांक	विभिन्न व्यापारी संगठनों द्वारा उठाये गये बिन्दु।	कार्यवाही का विवरण	रिमार्क
3.	**सचिव, मण्डी समिति मंदसौर** पत्र कमांक/मण्डी/ई–अनु./19–20/771 दिनांक 14/08/2019 यथा संलग्न **अध्यक्ष, दशपुर मण्डी व्यापारी संघ मंदसौर का ज्ञापन दिनांक** 14/08/2019। **ई–अनुज्ञा की उचित प्रकिया के संबंध में –** व्यापारी या मण्डी द्वारा एक–एक किसान के भुगतान पत्रक का अपलोड करना संभव नहीं है। क्योंकि मण्डी में अधिकांश उपज लहसुन/प्याज की आवक होती है। जो कि शीघ्र नष्ट होने वाली जिन्स है। आज की तारीख में भी मंदसौर मण्डी में 3 से 4 हजार तक भुगतान पत्रक बन रहे हैं। जबकि ऑफ सीजन चल रहा है। सीजन में इसकी संख्या 6 से 7 हजार तक हो जाती है। इन्हें किसी भी स्थिति में पोर्टल पर अपलोड करना संभव नहीं है। कृपया पूर्वानुसार एकजाई एण्ट्री का विकल्प पोर्टल पर देने का कष्ट करें। जो मण्डी द्वारा की जावे।		
	ई–अनुज्ञा की उचित प्रकिया के संबंध में – मण्डी शुल्क का चेक सभी बैंकों के मान्य रहें एवं चेक के आधार पर ही रसीद जारी करते हुये अनुज्ञा बनायें जायें।		

संदर्भः–दिनांक 16 अगस्त से 20 अगस्त 2019 के मध्य विभिन्न व्यापारी संगठनों से ई–अनुज्ञा के संबंध में प्राप्त ज्ञापनों पर कार्यवाही टीप।

–0–

कमांक	विभिन्न व्यापारी संगठनों द्वारा उठाये गये बिन्दु।	कार्यवाही का विवरण	रिमार्क
4.	**श्री प्रतीक शुक्ला, अध्यक्ष, छिंदवाड़ा अनाज व्यापारी संघ** – पत्र कमांक/19–20/014 दिनांक 17 अगस्त 2019। **भुगतान पत्रक में UTR न. हटाने संबंधी** – 1. केन्द्र सरकार लगातार बैंक द्वारा भुगतान को बढ़ावा देने के उद्वेश्य से नये नये नियम ला रही है जिसमें मुख्य रुप से 1 सितम्बर से लागु होने वाला नियम 1 करोड़ की नगद निकासी पर 2% TDS का है। इस नियम के कारण व्यापारी वर्ग अब किसानों को नगद भुगतान में सक्षम नहीं है अतः किसानों को RTGS/NEFT के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा, बैंक द्वारा भुगतान करने की दशा में कम से कम 2–4 कार्य दिवस का समय लगता है जिसमें फार्म भरना एवं बैंक जाना तथा कृषक द्वारा देरी से खाते का विवरण उपलब्ध कराना जैसे विषय शामिल हैं। RTGS/ से भुगतान के विषय में पत्र कमांक 19–20/013 दिनांक 10/08/2019 को दिया जा चूका है। इस स्थिति में ई–अनुज्ञा पोर्टल में भुगतान पत्रक की प्रविष्ठी बैंक द्वारा किये जाने पर भुगतान पत्रक में UTR न. भरने वाला कॉलम भर पाना संभव नहीं है बल्क पेमेंट की स्थिति में UTR न. अलग अलग किसान का मिल भी नहीं पाता है। अतः UTR न. वाला कॉलम ई–अनुज्ञा के भुगतान पत्रक प्रविष्ठी से हटाया जाये।		

संदर्भः–दिनांक 16 अगस्त से 20 अगस्त 2019 के मध्य विभिन्न व्यापारी संगठनों से ई–अनुज्ञा के संबंध में प्राप्त ज्ञापनों पर कार्यवाही टीप।

–0–

कमांक	विभिन्न व्यापारी संगठनों द्वारा उठाये गये बिन्दु।	कार्यवाही का विवरण	रिमार्क
4.	**श्री प्रतीक शुक्ला, अध्यक्ष, छिंदवाड़ा अनाज व्यापारी संघ** – पत्र कमांक/19–20/014 दिनांक 17 अगस्त 2019। **2. एकजाई स्कंध प्रविष्ठी** – महोदय पूर्व में आपके द्वारा हमें बताया गया था की हमें स्कंध की एकजाई प्रविष्ठी करना है एवं भुगतान पत्रक मण्डी कर्मचारी द्वारा प्रविष्ट किये जायेंगे। 16/08/2019 में चालू हुई ई–अनुज्ञा में एकजाई स्कंध प्रविष्ठी का कोई कॉलम नहीं है जिसके होने की सूचना मण्डी बोर्ड द्वारा बहुत समय तक ई–अनुज्ञा की वेबसाईट में भी चलाई गई थी। अतः निवेदन है की हमें स्कंध के एकजाई प्रविष्ठी की सुविधा दी जाये एवं भुगतान पत्रक की प्रविष्ठी मण्डी कर्मचारी द्वारा कराई जाये। हमारे द्वारा लिखे दोनों बिंदु एवं आपसे मिले सुधार के आश्वासन को आप गंभीरता से लेते हुये ई–अनुज्ञा में जल्द से जल्द सुधार करवायेंगे, 3–4 कार्य दिवस के भीतर सुधार न होने की दशा में हम मण्डी प्रांगण में खरीदी करने में असमर्थ रहेंगे।		

संदर्भः—दिनांक 16 अगस्त से 20 अगस्त 2019 के मध्य विभिन्न व्यापारी संगठनों से ई—अनुज्ञा के संबंध में प्राप्त ज्ञापनों पर कार्यवाही टीप।

—0—

कमांक	विभिन्न व्यापारी संगठनों द्वारा उठाये गये बिन्दु।	कार्यवाही का विवरण	रिमार्क
5.	**अध्यक्ष, थोक लहसुन, आलू, प्याज व्यापारी संघ इंदौर** — पत्र दिनांक 18 अगस्त 2019। (दिनांक 18/08/2019 को प्राप्त) हम व्यापारी होकर कच्चे आलू, लहसुन, प्याज का क्रय—विक्रय करते हैं। हम कृषि उपज मण्डी नियमों के तहत पूर्व में अनुज्ञा प्राप्त करते रहे हैं। हमारे लोडिंग वाहनों में कच्चा माल भरा होता है जिससे परिवहन में देरी होने पर नुकसान का भय ज्यादा होता है। ई—अनुज्ञा प्रणाली में हमारे मुताबिक काफी जटिलतायें हैं। ई—अनुज्ञा बनाने में एक—एक किसान का भुगतान पत्रक अपलोड करना संभव नहीं है। क्योंकि हमारे यहॉ आलू, लहसुन, प्याज की आवक काफी मात्रा में होती है। कच्चे माल में समय का बहुत ध्यान रखा जाता है। अतः अनुसूची 8 में दर्ज कृषि उपज को ई—अनुज्ञा से बाहर रखा जाये। और पूर्ववत मेनुअल अनुज्ञा जारी किया जावे। उपरोक्तानुसार यह व्यवस्था लागू होने पर हम माल खरीदने (नीलामी) में भाग लेने में असमर्थ रहेगें।		

संदर्भः–दिनांक 16 अगस्त से 20 अगस्त 2019 के मध्य विभिन्न व्यापारी संगठनों से ई–अनुज्ञा के संबंध में प्राप्त ज्ञापनों पर कार्यवाही टीप।

–0–

कमांक	विभिन्न व्यापारी संगठनों द्वारा उठाये गये बिन्दु।	कार्यवाही का विवरण	रिमार्क
6.	**श्री उपेश राठोर, अध्यक्ष, अनाज तिलहन व्यापारी वेलफेयर एसोसियेशन आष्ट जिला सीहोर –** पत्र दिनांक 16 अगस्त 2019। आष्टा मण्डी समिति द्वारा बताये अनुसार नीलामी में विक्रय कृषि उपज के क्रय बिल मण्डी समिति के पोर्टल पर बनाना आवश्यक है। परन्तु मण्डी समिति के पोर्टल पर कृषकों से कटने वाली हम्माली एवं तुलाई स्वमेव कटने का प्रावधान नहीं है। इस कारण मण्डी पोर्टल पर कृषकों के क्रय बिल पोर्टल पर बनाना संभव नहीं है। जब तक यह व्यवस्था पोर्टल पर नहीं हो जाती है, तब तक पूर्व व्यवस्था अनुसार ही कृषकों से क्रय कृषि उपज के बिल स्वीकार कर अनुज्ञा जारी करने का कष्ट करें।		

संदर्भः—दिनांक 16 अगस्त से 20 अगस्त 2019 के मध्य विभिन्न व्यापारी संगठनों से ई—अनुज्ञा के संबंध में प्राप्त ज्ञापनों पर कार्यवाही टीप।

—0—

कमांक	विभिन्न व्यापारी संगठनों द्वारा उठाये गये बिन्दु।	कार्यवाही का विवरण	रिमार्क
7.	**सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति हटा जिला दमोह** — पत्र कमांक 409 दिनांक 17 अगस्त 2019। ई—अनुज्ञा पोर्टल में कृषक को बैंक खाते में होने वाले भुगतान का यू.टी.आर.न. अनिवार्य है किन्तु कृषक एवं व्यापारी का खाता एक ही बैंक की एक ही शाखा में होने से यू.टी. आर.न. जारी नहीं हो पा रहा है साथ ही कृषक भुगतान राशि नगद लेने को तैयार नहीं है एवं चैक द्वारा भुगतान प्रतिबंधित है ऐसी स्थिति में ई—अनुज्ञा पोर्टल पर भुगतान पत्रक दर्ज करने के संबंध में मार्गदर्शन/व्यवस्था प्रदान करने की कृपा करें।		

संदर्भः—दिनांक 16 अगस्त से 20 अगस्त 2019 के मध्य विभिन्न व्यापारी संगठनों से ई—अनुज्ञा के संबंध में प्राप्त ज्ञापनों पर कार्यवाही टीप।

—0—

कमांक	विभिन्न व्यापारी संगठनों द्वारा उठाये गये बिन्दु।	कार्यवाही का विवरण	रिमार्क
8.	**सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति जावरा जिला रतलाम का** पत्र कमांक 1767 दिनांक 17 अगस्त 2019 के संलग्न सचिव, जावरा कृषि उपज मण्डी व्यापारी संगठन एवं डॉ. काटजू मण्डी व्यापारी संघ का आवेदन — व्यापारी या मण्डी द्वारा एक एक किसान के भुगतान पत्रक का अपलोड करना संभव नहीं है क्योंकि मण्डी में 3 से 4 हजार भुगतान पत्रक अभी बन रहे हैं जबकि अभी सीजन नहीं है। कृपया पूर्वानुसार एकजाई एण्ट्री का विकल्प देने की कृपा करें। प्रत्येक किसान का मोबाईल नंबर आवश्यक नहीं किया जाये, इसे ऐच्छिक रखा जाये। अन्यथा हमारा संघ दिनांक 19 अगस्त 2019 से मण्डी में नीलाम में भाग लेने में असमर्थ होगा।		

संदर्भः–दिनांक 16 अगस्त से 20 अगस्त 2019 के मध्य विभिन्न व्यापारी संगठनों से ई–अनुज्ञा के संबंध में प्राप्त ज्ञापनों पर कार्यवाही टीप।

–0–

कमांक	विभिन्न व्यापारी संगठनों द्वारा उठाये गये बिन्दु।	कार्यवाही का विवरण	रिमार्क
9.	**सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति रतलाम का पत्र कमांक** 2077 दिनांक 17 अगस्त 2019 के संलग्न श्री सुरेन्द्र वत्तर, अध्यक्ष, दि ग्रेन मर्चेण्ट एसो. रतलाम एवं श्री मोतिलाल बाफना, अध्यक्ष, रतलाम मिर्ची–लहसन व्यापारी संघ एवं श्री मोहनलाल मुरलीवाला, अध्यक्ष, लहसन–प्याज व्यापारी संघ रतलाम– भुगतान पत्रक की एकजाई एण्ट्री की व्यवस्था पोर्टल में किये जाने संबंधी। साथ ही नगद भुगतान पर टीडीएस लागू होने से व्यापारियों को नगद भुगतान में भी बड़ी कठिनाई है जिसका व्यापारी संघ विरोध करता है अन्यथा हमारा संघ दिनांक 20 अगस्त 2019 से मण्डी में नीलाम में भाग लेने में असमर्थ होगा अर्थात अनिश्चितकालीन मण्डी बंद रहने की संभावना है।		

संदर्भः–दिनांक 16 अगस्त से 20 अगस्त 2019 के मध्य विभिन्न व्यापारी संगठनों से ई–अनुज्ञा के संबंध में प्राप्त ज्ञापनों पर कार्यवाही टीप।

–0–

कमांक	विभिन्न व्यापारी संगठनों द्वारा उठाये गये बिन्दु।	कार्यवाही का विवरण	रिमार्क
10.	**सचिव, व्यापारी संघ, मण्डी प्रांगण नीमच का पत्र कमांक 15/19–20 दिनांक 19 अगस्त 2019।** भुगतान पत्रक की एकजाई एण्ट्री की व्यवस्था पोर्टल पर किये जाने संबंधी। पोर्टल में इस तरह की व्यवस्था करें कि व्यापारी द्वारा मण्डी शुल्क हेतु जमा कराई गई राशि सीधे व्यापारी के खाते में जमा हो जाये और उसके सत्यापन की आवश्यकता न हो। ई–अनुज्ञा पोर्टल पर बोरों की संख्या वाले कॉलम में अधिकतम 3 अंकों की प्रविष्टि उपलब्ध है इस 4 अंकों में किया जाये। पोर्टल पर कृषि उपज का किस्म के आधार पर अनुज्ञा बनाया जाना संभव नहीं है इसमें संशोधन कर केवल कृषि उपज के नाम से ही प्रविष्टि हो जाये, ऐसी व्यवस्था की जाये। एमएएन नम्बर डालने के पश्चात प्राप्त अनुज्ञा पत्र को केता द्वारा उसकी मण्डी समिति में सत्यापन कराये जाने की आवश्यकता को समाप्त की जावे।		

संदर्भः–दिनांक 16 अगस्त से 20 अगस्त 2019 के मध्य विभिन्न व्यापारी संगठनों से ई–अनुज्ञा के संबंध में प्राप्त ज्ञापनों पर कार्यवाही टीप।

–0–

कमांक	विभिन्न व्यापारी संगठनों द्वारा उठाये गये बिन्दु।	कार्यवाही का विवरण	रिमार्क
	अनुज्ञा पत्र जारी होते ही क्रेता के खाते में उक्त अनुज्ञा पत्र में घोषित कृषि उपज का स्टॉक एवं मण्डी शुल्क की रकम स्वतः जमा हो जाये ऐसी व्यवस्था की जावे। कृषि उपज के परिवहन हेतु वाहन खराब होने, अन्य गाड़ियों में क्रासिंग पर कृषि उपज परिवहन करने, क्रेता द्वारा गाड़ी रिजेक्ट करने जैसे कई कारण हैं जिसमें कई बार अनुज्ञा पत्र निरस्त करना होते हैं, नये प्रारुप में निरस्त अनुज्ञा के लिये कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं हैं। जी.एस.टी. में ई–बिल निरस्त करने के समान की जाये जिससे व्यापारी वर्ग को अनावश्यक परेशानी से मुक्ति मिले। पोर्टल पर किसानों के मोबाईल नंबर डालने की आवश्यकता को समाप्त किया जावे क्योंकि कई किसानों के पास मोबाईल उपलब्ध नहीं रहते हैं। पोर्टल पर कुछ जिंसों का नाम शो नहीं हो रहा है जैसे कौच बीज, किनोवा, मेंहदी पत्ता, मुशक दाना, सुवा, कटेली इनका नाम जोड़ा जाये। पोर्टल पर किसानी भुगतान पत्रक बिल बनाते समय नगद एवं आरटीजीएस/एनइएफटी दोनों से एक साथ भुगतान होने पर प्रविष्टि नहीं हो रही है। निराकरण न होने पर अन्यथा व्यापारी संघ 21 अगस्त 2019 से नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने में असमर्थ रहेगा।		

संदर्भः–दिनांक 16 अगस्त से 24 अगस्त 2019 के मध्य विभिन्न व्यापारी संगठनों से ई–अनुज्ञा के संबंध में प्राप्त ज्ञापनों पर कार्यवाही टीप।

–0–

कमांक	विभिन्न व्यापारी संगठनों द्वारा उठाये गये बिन्दु।	कार्यवाही का विवरण	रिमार्क
11.	**श्री नितिन जैन का ई–मेल दिनांक 19 अगस्त 2019** 1–मंडी में आने वाली कृषि उपज को जब कृषक गेट पर ले कर आता है तब उसकी विधिवत एंट्री किसान का नाम उसका पता उसका मोबइल नंबर और जो भी जानकारी चाहिए वह गेट पर दर्ज करवाने चाहिए। 2–कृषक के माल की नीलामी होने के बाद उसका अनुबंध पत्र ऑनलाइन जारी करना जो की मंडी कर्मचारी अपनी आईडी से जारी करें एवं इसमें व्यापारी का मान नंबर दर्ज करें जिससे कि व्यापारी की आईडी में यह अनुबंध पत्र शो करने लगे। 3–कृषक के माल की तौल होने के बाद व्यापारी अपनी आईडी से भुगतान पत्रक जारी करें एवं साथ ही आपके पोर्टल से कृषक का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करने की भी व्यवस्था होनी चाहिए जो व्यापारी नगद करना चाहते हैं नगद व्यवस्था बनाये।		

संदर्भः–दिनांक 16 अगस्त से 24 अगस्त 2019 के मध्य विभिन्न व्यापारी संगठनों से ई–अनुज्ञा के संबंध में प्राप्त ज्ञापनों पर कार्यवाही टीप।

–0–

कमांक	विभिन्न व्यापारी संगठनों द्वारा उठाये गये बिन्दु।	कार्यवाही का विवरण	रिमार्क
	श्री नितिन जैन का ई–मेल दिनांक 19 अगस्त 2019 4–व्यापारियों के मंडी टैक्स का भुगतान की पोर्टल पर लिंक होनी चाहिए जिससे कि वह ऑनलाइन मंडी टैक्स का भुगतान भी कर सके जो व्यापारी नगद भुगतान करना चाहते हैं वह मंडी कार्यलाय में जाकर नगद भुगतान भी कर सकते। 5–परंतु व्यापारियों को भुगतान पत्रक खुद चढ़ाना खुद अनुबंध पत्र चढ़ाना खुद समस्त जिम्मेदारी व्यापारी को सौंप देना उचित नही है कुछ कार्य मंडी कर्मचारियों को भी करना चाहिए जो उनके एंड के हैं व्यापारी अपना कार्य करेगा परंतु सरल तरीके से हो एक और बात व्यापारी भुगतान पत्र ऑनलाईन भी र्दज करता है और उसका मैन्युअल भुगतान पत्रक बनाता है एक ही कार्य को दो–दो बार करना पड़ता है इस संबंध मे भी ध्यान आकर्षित होना चाहिए।		

संदर्भः—दिनांक 16 अगस्त से 24 अगस्त 2019 के मध्य विभिन्न व्यापारी संगठनों से ई—अनुज्ञा के संबंध में प्राप्त ज्ञापनों पर कार्यवाही टीप।

—0—

कमांक	विभिन्न व्यापारी संगठनों द्वारा उठाये गये बिन्दु।	कार्यवाही का विवरण	रिमार्क
12.	**अध्यक्ष एवं समस्त व्यापारी गण मंडी नरसिंहगढ़ (राजगढ़) 19/08/2019** 1— कृषक का मोबाईल नंबर अनिवार्य 2— तुरन्त यू.टी.आर. भुगतान पत्रक पर 3— गेटपास जारी होने की कार्य समयाविधि नही कारण प्रत्येक भुगतान पत्रक की अलग अलग एन्ट्री उक्त नियमों के होने से व्यापारी मंडी मे सचारू व्यापार करने में असमर्थ है। अतः हम समस्त अनुज्ञाप्ति धारी व्यापारी दिनांक 20/08/2019 से मंडी घोष विक्रय मे भाग लेने में असमर्थ हैं।		

संदर्भः–दिनांक 16 अगस्त से 24 अगस्त 2019 के मध्य विभिन्न व्यापारी संगठनों से ई–अनुज्ञा के संबंध में प्राप्त ज्ञापनों पर कार्यवाही टीप।

–0–

कमांक	विभिन्न व्यापारी संगठनों द्वारा उठाये गये बिन्दु।	कार्यवाही का विवरण	रिमार्क
13.	**सचिव, मंडी समिति रतलाम का पत्र कमांक/मण्डी/ई–अनुज्ञा/2019–20/2093 दिनांक 19/08/2019।** ई अनुज्ञा प्रणाली में आ रही समस्याओं से व्यापारी संध द्वारा अवगत कराया गया था कि जो भुगतान पत्रक की एन्ट्री एकजाई करवाई जावे एवं कृषको को नगद भुगतान पर टी. डी.एस. लागू नही हो क्योंकि इससे व्यापारियों एसोसिएशन को उक्त दोनों समस्याआं का निराकरण किये जाने हेतु आज दिनांक 19/08/2019 को मंडी कार्यालय में बुलाकर समझाइश दी गयी की नगद भुगतान पत्रको की एन्ट्री मंडी प्रशासन द्वारा ही की जावेगी तथा भुगतान पर टी डी एस एवं एकजाई एन्ट्री की कार्यवाही मुख्यालय मंडी बोर्ड भोपाल द्वारा विचाराधीन है, अतएव आप लोग कल दिनांक 20/08/2019 से अनिश्चित कालीन हड़ताल पर न जावे लेकिन व्यापारी एसोसिएशन के प्रतिनिधियों द्वारा मौखिक रूप से स्पष्ट मना कर दिया की जब तक दोनों समस्याओं का पूर्ण रूप से निराकरण मंडी प्रशासन द्वारा नहीं किया जाता है तब तक सभी व्यापारीगण नीलाम कार्य में भाग नहीं लेंगे।		

संदर्भः—दिनांक 16 अगस्त से 25 अगस्त 2019 के मध्य विभिन्न व्यापारी संगठनों से ई—अनुज्ञा के संबंध में प्राप्त ज्ञापनों पर कार्यवाही टीप।

—0—

कमांक	विभिन्न व्यापारी संगठनों द्वारा उठाये गये बिन्दु।	कार्यवाही का विवरण	रिमार्क
14.	**सचिव, कृषि मण्डी समिति मंदसौर का पत्र कमांक 19—20/825 दिनांक 28 अगस्त 2019।** ई अनुज्ञा पोर्टल पर हम्माली एवं तुलाई दर प्रविष्टि लिंक में आवश्यक संशोधन करने का कष्ट करें।		

संदर्भः–दिनांक 16 अगस्त से 25 अगस्त 2019 के मध्य विभिन्न व्यापारी संगठनों से ई–अनुज्ञा के संबंध में प्राप्त ज्ञापनों पर कार्यवाही टीप।

–0–

कमांक	विभिन्न व्यापारी संगठनों द्वारा उठाये गये बिन्दु।	कार्यवाही का विवरण	रिमार्क
15.	**कुरावर अनाज व्यापारी संघ जिला राजगढ़ का पत्र कमांक निरंक दिनांक 20 अगस्त 2019।** भुगतान पत्रक सिंगल एन्ट्री पोंटल पर व्यापारी द्वारा करना सम्भव नही है साथ ही भुगतान का यू.टी.आर. नम्बर तुरन्त देना भी संभव नही है।		

संदर्भः—दिनांक 16 अगस्त से 25 अगस्त 2019 के मध्य विभिन्न व्यापारी संगठनों से ई—अनुज्ञा के संबंध में प्राप्त ज्ञापनों पर कार्यवाही टीप।

—0—

कमांक	विभिन्न व्यापारी संगठनों द्वारा उठाये गये बिन्दु।	कार्यवाही का विवरण	रिमार्क
16.	**श्री सतीशचंद असाटी, अध्यक्ष सिहोरा अनाज व्यापारी कल्याण संघ क्यू—1 दिनांक 20 अगस्त 2019।** 1— केंद्र सरकार लगातार बैंक द्वारा भुगतान को बढ़ावा देने के उददेश्य से नये नियम लागू किये जा रहे हैं जिसमें मुख्य रूप से 1 सितम्बर से लागू होने वाला नियम 1 करोड की नगद निकासी पर 2—प्रतिशत टीडीएसी का है इस नियम के कारण व्यापारी फर्म अब किसानों को नगद भुगतान देने में सक्षम नही है। अतः किसानों को नेफ्ट/आरटीजीएस/ चैक के माध्यम से ही भुगतान किया जाना है। बैंक द्वारा भुगतान करने की दशा में कम से कम दो से तीन दिन कार्य दिवस का समय लगता है। जिसमें फार्म भरना एवं बैंक जाना तथा कृष्क द्वारा देरी से कम दो से तीन दिन कार्य दिवस का समय लगता है। जिसमें फार्म भरना एवं बैंक जाना तथा कृषक द्वारा देरी से खाते का विवरण उपलब्ध कराना जैसे विषय शामिल है इस स्थिति में आपके द्वारा ई—अनुज्ञा पोर्टल में भुगतान पत्रक की प्रविष्ट बैंक द्वारा किये जाने पर भुगतान		

संदर्भः—दिनांक 16 अगस्त से 25 अगस्त 2019 के मध्य विभिन्न व्यापारी संगठनों से ई—अनुज्ञा के संबंध में प्राप्त ज्ञापनों पर कार्यवाही टीप।

—0—

कमांक	विभिन्न व्यापारी संगठनों द्वारा उठाये गये बिन्दु।	कार्यवाही का विवरण	रिमार्क
	श्री सतीशचंद असाटी, अध्यक्ष सिहोरा अनाज व्यापारी कल्याण संघ क्यू—1 दिनांक 20 अगस्त 2019। पत्रक में यूटीआर न. भरने वाला कॉलम भरा जाना संभव नही है। बल्क पेमेन्ट की स्थिति मे यूटीआर न. अलग अलग किसान का मिल भी नही पाता है। अतः आपसे निवेदन है कि उस कॉलम को हटाया जावे। 2— महोदय आपके द्वारा बताया गया था कि हमें स्कंध की एकजाई प्रविष्टी करना है एवं भुगतान पत्रक मंडी कर्मचारी द्वारा प्रविष्टी की जावेगी दिनांक 16.08.2019 में चालु हुई है अनुज्ञा में एकजाई स्कंध प्रविष्टी का कोई कॉलम नही है एक दिन में कर्मचारी द्वारा बहुत से बिक्री प्रमाणक की प्रविष्टी एक एक कर चढा पाना और उनमें सचिव की आई डी से सत्यापित कर पाना संभव नही है। इस प्रक्रिया में बहुत समय लग रहा है। 3— नए ई—अनुज्ञा पोर्टल में किसान का मोबाइल नं अनिवार्य किया गया है बहुत से कृष्क मोबाईल का उपयोग नही करते है इस स्थिति में न. कहॉ से दे इस पर विचार किया जाये।		

संदर्भः—दिनांक 16 अगस्त से 25 अगस्त 2019 के मध्य विभिन्न व्यापारी संगठनों से ई—अनुज्ञा के संबंध में प्राप्त ज्ञापनों पर कार्यवाही टीप।

—0—

कमांक	विभिन्न व्यापारी संगठनों द्वारा उठाये गये बिन्दु।	कार्यवाही का विवरण	रिमार्क
17.	**माननीय पारस चन्द्र जैन, विधायक, उज्जैन उत्तर का पत्र कमांक निरंक दिनांक 20 जुलाई 2019।** माननीय मंत्री, कि.क. तथा कृ.वि. सह अध्यक्ष, मण्डी बोर्ड महोदय को संबोधित कर ''दिनांक 01 जुलाई 2019 से शुरु की गई ''आनलाईन अनुज्ञा पत्र शुरु की गई थी, जो वर्तमान में बद हो गई है। ऑनलाईन अनुज्ञा पत्र से मण्डियों में होने वाले भ्रष्टाचार पर रोक लगी थी तथा इससे व्यापारियों को भी लाभ पहुंच रहा था। कृपया भ्रष्टाचार पर रोक एवं व्यापारियों के हितों को दृष्टिगत रखते हुये पुनः ऑनलाईन अनुज्ञा—पत्र शूरू किये जाने के आदेश प्रदान करने संबंधी अनुरोध किया है।		(दिनांक 14/08/2019 को प्राप्त)

संदर्भः–दिनांक 16 अगस्त से 25 अगस्त 2019 के मध्य विभिन्न व्यापारी संगठनों से ई–अनुज्ञा के संबंध में प्राप्त ज्ञापनों पर कार्यवाही टीप।

–0–

कमांक	विभिन्न व्यापारी संगठनों द्वारा उठाये गये बिन्दु।	कार्यवाही का विवरण	रिमार्क
18.	**सचिव, कृषि उपज मंडी समिति मंदसौर के पत्र कमांक 792 दिनांक 17/08/2019 के संलग्न दशपुर मण्डी व्यापारी संघ मंदसौर का पत्र दिनांक 16/08/2019।** केन्द्र सरकार द्वारा बजट में दिनांक 01 सितम्बर 2019 से एक वर्ष में बैंक से एक करोड़ से अधिक नगदी आहरण किये जाने पर 2 प्रतिशत की दर से टीडीएस लगाया है। व्यापारियों द्वारा कृषकों को भुगतान करने के लिये वर्ष भर में करोड़ों का नगद लेन–देन बैंक से किया जाता है। अतः दिनांक 01 सितम्बर 2019 से व्यापारी किसानों को नगद भुगतान करने में असमर्थ रहेंगे। एक करोड़ से अधिक नगद आहरण किये जाने पर केन्द्र सरकार द्वारा 2 प्रतिशत टीडीएस लागू किये जाने से दशपुर मण्डी व्यापारी मंदसौर द्वारा दिनांक 01 सितम्बर 2019 से किसानों से क्रय कृषि उपज का भुगतान एवं हम्माली एवं तुलाई राशि का पारिश्रमिक भी केवल नेफ्ट/आर.टी.जी.एस. के माध्यम से ही किये जाने का ज्ञापन में उल्लेख कर छायाप्रति संलग्न कर भुगतान बाबत् आवश्यक मार्गदर्शन चाहा गया है।		नियमन शाखा, मण्डी बोर्ड से संबंधित।

संदर्भः—दिनांक 16 अगस्त से 25 अगस्त 2019 के मध्य विभिन्न व्यापारी संगठनों से ई—अनुज्ञा के संबंध में प्राप्त ज्ञापनों पर कार्यवाही टीप।

—0—

कमांक	विभिन्न व्यापारी संगठनों द्वारा उठाये गये बिन्दु।	कार्यवाही का विवरण	रिमार्क
19.	**श्री राजेश कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष, अनाज व्यापारी संघ टिमरनी जिला हरदा का पत्र कमांक निरंक दिनांक 17/08/2019।** केन्द्र सराकर द्वारा जुलाई 2019 में जारी किये गये बजट में दिनांक 01/09/2019 से एक वर्ष में बैंक से एक करोड़ रुपये से अधिक नगदी निकालने पर 2 प्रतिशत टीडीएस बैंकों द्वारा व्यापारियों से काटा जावेगा। जिसका अधिभार व्यापारियों पर प्रत्यक्ष रुप से पड़ेगा। व्यापारी द्वारा कृषकों को भुगतान करने के लिये वर्ष भर में कई करोड़ों रुपयों का लेन—देन हो जाता है। कृषकों को भुगतान करने की व्यवस्था केन्द्र सरकार की नीति अनुसार बनाई जावे जिससे कृषकों एवं व्यापारियों के बीच सुचारू भुगतान व्यवस्था निरंतर चल सके। अतः निवेदन है कि कृषको से क्रय की गई कृषि उपज का संपूर्ण भुगतान व्यापारियों द्वारा नगद नही किया जाकर बैंको के माध्यम से NEFT एवं RTGS द्वारा किया जावेगा। हम्मालों को भी उनके पारिश्रमिक का भुगतान बैंक के माध्यम से ही किया जावेगा।		नियमन शाखा, मण्डी बोर्ड से संबंधित।

संदर्भः—दिनांक 16 अगस्त से 25 अगस्त 2019 के मध्य विभिन्न व्यापारी संगठनों से ई—अनुज्ञा के संबंध में प्राप्त ज्ञापनों पर कार्यवाही टीप।

—0—

कमांक	विभिन्न व्यापारी संगठनों द्वारा उठाये गये बिन्दु।	कार्यवाही का विवरण	रिमार्क
	श्री राजेश कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष, अनाज व्यापारी संघ टिमरनी जिला हरदा का पत्र कमांक निरंक दिनांक 17/08/2019। यह नई भुगतान व्यवस्था दिनांक 26/08/2019 से लागू की जावेगी। अतः इसकी सूचना कृषकों, हम्मालों को नई भुगतान व्यवस्था के संबंध में सूचित किया जावे ताकि व्यापारियों, कृषकों एवं हम्मालों के बीच में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति उत्पन्न न होने पावे। हम हमेशा मण्डी के कार्य को सुचारु रुप से चलाने में सहयोग देते आय हैं एवं भविष्य में भी सहयोग देते रहेंगे।		नियमन शाखा, मण्डी बोर्ड से संबंधित।

संदर्भः—दिनांक 16 अगस्त से 25 अगस्त 2019 के मध्य विभिन्न व्यापारी संगठनों से ई—अनुज्ञा के संबंध में प्राप्त ज्ञापनों पर कार्यवाही टीप।

—0—

कमांक	विभिन्न व्यापारी संगठनों द्वारा उठाये गये बिन्दु।	कार्यवाही का विवरण	रिमार्क
20.	**श्री मनजीत सिंह चावला, अध्यक्ष, मण्डी व्यापारी संघ खरगोन का पत्र कमांक निरंक दिनांक 12/08/2019 माननीय मंत्री कृषि को संबोधित है के संलग्न व्यापारियों का हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन।** 1— केन्द्रीय सरकार के बजट वर्ष 2019—20 में 01/09/2019 से बैंकों से 1 वर्ष में 1 करोड़ से अधिक नगद आहरण पर 2% का TDS अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत अब हम व्यापारियों द्वारा कृष्कों से क्रय की गई उपज के मूल्य का भुगतान नगद करना अब असंभव है। अतः श्रीमान से सादर अनुरोध है कि इस नियम व्यापारियों द्वारा अब कृषकों को RTGS से ही भुगतान किया जावेगा।		नियमन शाखा, मण्डी बोर्ड से संबंधित।

संदर्भः—दिनांक 16 अगस्त से 25 अगस्त 2019 के मध्य विभिन्न व्यापारी संगठनों से ई—अनुज्ञा के संबंध में प्राप्त ज्ञापनों पर कार्यवाही टीप।

—0—

कमांक	विभिन्न व्यापारी संगठनों द्वारा उठाये गये बिन्दु।	कार्यवाही का विवरण	रिमार्क
20.	**श्री मनजीत सिंह चावला, अध्यक्ष, मण्डी व्यापारी संघ खरगोन का पत्र कमांक निरंक दिनांक 12/08/2019 माननीय मंत्री कृषि को संबोधित है के संलग्न व्यापारियों का हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन।** 2— निवेदन है की अनुबंध पर किसान का मोबाईल नंबर डालना आवश्यक करने एवं दिनांक 01 सितम्बर से नगद भुगतान नहीं किया जाना जो की व्यापारी द्वारा संभव नहीं हैं क्योंकि नगद पेमेन्ट की जरुरत व्यापारी को हर पल में पड़ती है बैंक से नगद पेमेन्ट नहीं मिलने पर हम्माल तुलावटी मजदूर किसी को भी नगद पेमेन्ट नहीं दिया जा सकेगा एवं खेस्वी माल भी नहीं बेच पायेंगे क्योंकि 2 कट्टे से लेकर 30 कट्टे का पेमेन्ट नगद नहीं दिया जा सकता है। अतः निवेदन है की दिनांक 22/08/2019 से अनिश्चितकाल मण्डी निलाम कार्य बंद रहेगा।		

संदर्भः—दिनांक 16 अगस्त से 25 अगस्त 2019 के मध्य विभिन्न व्यापारी संगठनों से ई—अनुज्ञा के संबंध में प्राप्त ज्ञापनों पर कार्यवाही टीप।

—0—

कमांक	विभिन्न व्यापारी संगठनों द्वारा उठाये गये बिन्दु।	कार्यवाही का विवरण	रिमार्क
21.	**श्री शिवचरण सिंह रघुवंशी, अध्यक्ष, अनाज एवं तिलहन व्यापारी संघ गंजबासोदा का पत्र कमांक 47 दिनांक 16/08/2019।** 1— व्यापारी या मण्डी द्वारा प्रत्येक किसान का भुगतान पत्रक अपलोड करना संभव नहीं है। सीजन के समय में लगभग 1 से 2 हजार तक भुगतान पत्रक रोजाना बनते हैं। पूर्वानुसार प्रत्येक व्यापारीवार कृषि उपज का कृषक को किया गया भुगतान एवं जिन्स की कुल खरीदी की एक प्रविष्टी का विकल्प पोर्टल पर देने का कष्ट करें। जो कि मंडी समिति द्वारा की जावे। 2— मण्डी शुल्क का भुगतान पूर्वानुसार चेक द्वारा मान्य रहे एवं चेक के आधार पर ही मण्डी शुल्क की रसीद जारी करते हुये अनुज्ञा बनाये जावें। ई—अनुज्ञा के संबंध में उक्त व्यवस्था लागू कराने की कृपा करें।		

संदर्भः—दिनांक 16 अगस्त से 25 अगस्त 2019 के मध्य विभिन्न व्यापारी संगठनों से ई—अनुज्ञा के संबंध में प्राप्त ज्ञापनों पर कार्यवाही टीप।

—0—

कमांक	विभिन्न व्यापारी संगठनों द्वारा उठाये गये बिन्दु।	कार्यवाही का विवरण	रिमार्क
22.	**सचिव, मंडी समिति सतना का पत्र कमांक 2035 दिनांक 21/08/2019 के संलग्न** श्री अजय कुमार बंसल, गल्ला तिलहन व्यापारी संघ सतना का पत्र कमांक निरंक दिनांक 19/08/2019 एवं श्री विष्णु अग्रवाल, कनिष्ठ महामंत्री, कृषि उपज व्यापारी संघ सतना का पत्र 64 दिनांक 18/08/2019। 1— केन्द्रीय सरकार के बजट वर्ष 2019—20 में 01/09/2019 से बैंकों से 1 वर्ष में 1 करोड़ से अधिक नगद आहरण पर 2% का TDS का प्रावधान है इस नियम के कारण व्यापारी वर्ग अब किसानों को नगद देने में सक्षम नहीं है। अतः किसानों को RTGS/NEFT के माध्यम से भुगतान किया जायेगा। कृषि उपज की तौल देर रात्रि तक होती है और बैंको का कार्य उक्त कार्य दिवस में RTGS/NEFT कर पाना संभव नहीं है, बैंक द्वारा भुगतान करने की दशा में कम से कम एक से दो कार्य दिवस का समय लगता है, जिसमें फार्म एवं बैंक जाना तथा कृषक द्वारा देरी से खाते का विवरण उपलब्ध कराने जैसे विषय शामिल हैं। इस स्थिति में ई—अनुज्ञा पोर्टल में भुगतान प्रविष्टि में बैंक द्वारा किये जाने पर भुगतान पत्रक में यूटीआर नंबर		

संदर्भः–दिनांक 16 अगस्त से 25 अगस्त 2019 के मध्य विभिन्न व्यापारी संगठनों से ई–अनुज्ञा के संबंध में प्राप्त ज्ञापनों पर कार्यवाही टीप।

–0–

कमांक	विभिन्न व्यापारी संगठनों द्वारा उठाये गये बिन्दु।	कार्यवाही का विवरण	रिमार्क
23.	**सचिव, मंडी समिति सतना का पत्र कमांक 2035 दिनांक 21/08/2019 के संलग्न** श्री अजय कुमार बंसल, गल्ला तिलहन व्यापारी संघ सतना का पत्र कमांक निरंक दिनांक 19/08/2019 एवं श्री विष्णु अग्रवाल, कनिष्ठ महामंत्री, कृषि उपज व्यापारी संघ सतना का पत्र 64 दिनांक 18/08/2019। भरने वाला कालम भर पाना संभव नहीं है, बल्क पेमेन्ट की स्थिति में यूटीआर नंबर अलग–अलग किसानों का भी नहीं मिल पाता है। अतः यूटीआर वाला कॉलम हटाये जाने की कृपा करें। सतना मण्डी में कृषक की कृषि उपज डाक नीलामी द्वारा की जाती है, डाक नीलामी का कार्य सांय 04:00 से 05:00 बजे तक चलता है, उसके बाद माल की तौल देर रात्रि तक होती है, जिसके कारण उस तारीख में RTGS/NEFT कर पाना संभव नहीं है, ऐसी स्थिति में व्यापारी एवं मण्डी का कार्य प्रभावित होगा।		

संदर्भः—दिनांक 16 अगस्त से 25 अगस्त 2019 के मध्य विभिन्न व्यापारी संगठनों से ई—अनुज्ञा के संबंध में प्राप्त ज्ञापनों पर कार्यवाही टीप।

—0—

कमांक	विभिन्न व्यापारी संगठनों द्वारा उठाये गये बिन्दु।	कार्यवाही का विवरण	रिमार्क
24.	**सचिव, मंडी समिति सतना का पत्र कमांक 2035 दिनांक 21/08/2019 के संलग्न** श्री अजय कुमार बंसल, गल्ला तिलहन व्यापारी संघ सतना का पत्र कमांक निरंक दिनांक 19/08/2019 एवं श्री विष्णु अग्रवाल, कनिष्ठ महामंत्री, कृषि उपज व्यापारी संघ सतना का पत्र 64 दिनांक 18/08/2019। 2— 16 अगस्त 2019 को चालू हुई ई—अनुज्ञा में स्कंध की एकजाई प्रविष्टि की सुविधा की जाये एवं भुगतान पत्रक की प्रविष्टि मण्डी कर्मचारी द्वारा कराई जाये एवं यूटीआर वाला कॉलम हटाने का अनुरोध किया है।		

संदर्भः—दिनांक 16 अगस्त से 25 अगस्त 2019 के मध्य विभिन्न व्यापारी संगठनों से ई—अनुज्ञा के संबंध में प्राप्त ज्ञापनों पर कार्यवाही टीप।

—0—

कमांक	विभिन्न व्यापारी संगठनों द्वारा उठाये गये बिन्दु।	कार्यवाही का विवरण	रिमार्क
25.	**श्री गोपालदास अग्रवाल, अध्यक्ष, म.प्र. सकल अनाज दलहन तिलहन व्यापारी महासंघ समिति इंदौर का पत्र कमांक सकल/महा./मण्डी इंदौर दिनांक 16/08/2019।** 1— म.प्र. के व्यापारियों व महासंघ द्वारा ई अनुज्ञा का विरोध नही किया गया। ई—अनुज्ञा को पुरी तरह लागू करने पर जो समस्या आ रही है उनका निदान करने के बाद ही ई—अनुज्ञा को पूरी तरह लागु किया जाये जब तक उसे समान्तर व्यवस्था लागु रखें। जिस दिन पूर्ण रुप से समस्या रहित हो जाये उसे लागू करा देंवे। व्यापारियों को जिस प्रकार जीएसटी में ई—वे बिल निकालने में आसानी है वैसे ही ई—अनुज्ञा में रहे तो किसी को भी परेशानी। पूर्ण निदान होने तक इसे सामान्य रुप से जारी रखा जावे। 2— केन्द्र सरकार के वित विभाग द्वारा 1 सितम्बर से लागु प्रति वर्ष 1 करोड़ से ज्यादा नगद निकालने पर 2 प्रतिशत टीडीएस जमा का प्रावधान है। इस व्यवस्था में केन्द्र सरकार से राज्य सरकार पत्राचार, चर्चा कर किसानों के भुगतान का उचित निदान कराये नहीं तो टीडीएस के चक्कर में प्रदेश का किसान भ्रमित होकर (नगद भुगतान के लालच में) पैसा कटाकर नगद भुगतान प्राप्त करेगा। इसलिये किसी प्रकार		

संदर्भः—दिनांक 16 अगस्त से 25 अगस्त 2019 के मध्य विभिन्न व्यापारी संगठनों से ई—अनुज्ञा के संबंध में प्राप्त ज्ञापनों पर कार्यवाही टीप।

—0—

कमांक	विभिन्न व्यापारी संगठनों द्वारा उठाये गये बिन्दु।	कार्यवाही का विवरण	रिमार्क
26.	**श्री गोपालदास अग्रवाल, अध्यक्ष, म.प्र. सकल अनाज दलहन तिलहन व्यापारी महासंघ समिति इंदौर का पत्र कमांक सकल/महा./मण्डी इंदौर दिनांक 16/08/2019।** 1— म.प्र. के व्यापारियों व महासंघ द्वारा ई अनुज्ञा का विरोध नही किया गया। ई—अनुज्ञा को पुरी तरह लागू करने पर जो समस्या आ रही है उनका निदान करने के बाद ही ई—अनुज्ञा को पूरी तरह लागु किया जाये जब तक उसे समान्तर व्यवस्था लागु रखें। जिस दिन पूर्ण रुप से समस्या रहित हो जाये उसे लागू करा देंवे। व्यापारियों को जिस प्रकार जीएसटी में ई—वे बिल निकालने में आसानी है वैसे ही ई—अनुज्ञा में रहे तो किसी को भी परेशानी। पूर्ण निदान होने तक इसे सामान्य रुप से जारी रखा जावे। 2— केन्द्र सरकार के वित विभाग द्वारा 1 सितम्बर से लागु प्रति वर्ष 1 करोड़ से ज्यादा नगद निकालने पर 2 प्रतिशत टीडीएस जमा का प्रावधान है। इस व्यवस्था में केन्द्र सरकार से राज्य सरकार पत्राचार, चर्चा कर किसानों के भुगतान का उचित निदान कराये नहीं तो टीडीएस के चक्कर में प्रदेश का किसान भ्रमित होकर (नगद भुगतान के लालच में) पैसा कटाकर नगद भुगतान प्राप्त करेगा। इसलिये किसी प्रकार		

संदर्भः—दिनांक 16 अगस्त से 25 अगस्त 2019 के मध्य विभिन्न व्यापारी संगठनों से ई—अनुज्ञा के संबंध में प्राप्त ज्ञापनों पर कार्यवाही टीप।

—0—

कमांक	विभिन्न व्यापारी संगठनों द्वारा उठाये गये बिन्दु।	कार्यवाही का विवरण	रिमार्क
27.	**श्री गोपालदास अग्रवाल, अध्यक्ष, म.प्र. सकल अनाज दलहन तिलहन व्यापारी महासंघ समिति इंदौर का पत्र कमांक सकल/महा./मण्डी इंदौर दिनांक 16/08/2019।** पूर्व पृष्ठ से आगे – का विवाद ना हो व राज्य सरकार के खिलाफ माहोल न बने जब तक राज्य सरकार केन्द्र के कानून का हवाला देकर पूर्व की तरह किसानों की कृषि उपज का भुगतान मण्डी अधिनियम अनुसार उसी दिन आरटीजीएस/नेफ्ट/चेक के रुप में कराये। मण्डियों में किसानों के साथ कोई गलत हरकत न हो उसके लिये प्रदेश की प्रत्येक मण्डियों में व्यापारी संघ के 5 प्रतिनिधियों के साथ मण्डी कर्मचारी की एक कमेटी का गठन कर उस कमेटी को पालन दिया जाये कि प्रत्येक दिन कृषकों के माल की आवक जावक व पेमेन्ट पर ध्यान रख समय पर पेमेन्ट करायें। प्रदेश के मण्डी व्यापारियों पर संभागीय अधिकारी दबाव बना रहे हैं। आप टीडीएस की कैसे भी भरपाई करें किसानों को नगद भुगतान करें। इस प्रकार के दिशा निर्देश से प्रदेश के किसानों की उपज कम दाम पर विक्रय होगी या नगद के चक्कर में कटोत्रा के रुप में टीडीएस कटाने पर किसान मजबूर होगा। इसलिये आप सही दिशा निर्देश जारी कर अनहोनी को रोकें, मण्डियों में		

संदर्भः—दिनांक 16 अगस्त से 25 अगस्त 2019 के मध्य विभिन्न व्यापारी संगठनों से ई—अनुज्ञा के संबंध में प्राप्त ज्ञापनों पर कार्यवाही टीप।

—0—

कमांक	विभिन्न व्यापारी संगठनों द्वारा उठाये गये बिन्दु।	कार्यवाही का विवरण	रिमार्क
28.	**श्री गोपालदास अग्रवाल, अध्यक्ष, म.प्र. सकल अनाज दलहन तिलहन व्यापारी महासंघ समिति इंदौर का पत्र कमांक सकल/महा./मण्डी इंदौर दिनांक 16/08/2019।** व्यापारियों के साथ मण्डी के अधिकारी कर्मचारी की जवाबदेही तय करें साथ ही म.प्र. की समस्त बैंके चाहे सरकारी हो या सहकारिता बैंक, प्रायवेट बैंक हो किसानों का भुगतान सही समय पर करें। इसी प्रकार जो व्यापारी समय पर भुगतान न करें जो कर्मचारी बिना चके करें उपज को जाने दें दोनों पर कठोर कार्यवाही करें निश्चय ही सही काम होने लगेगा। भुगतान की धारा 37(2) में संशोधन की आवश्यकता है का अनुरोध किया है।		

कमांक	विभिन्न व्यापारी संगठनों द्वारा उठाये गये बिन्दु।	कार्यवाही का विवरण	रिमार्क
29.	**अनाज तिलहन व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन मण्डी समिति आष्टा का पत्र कमाकं 1070 / 26.08.2019** केन्द्र सरकार द्वारा बैंक में एक करोड़ रूपय से अधिक नगद निकासी पर 2 प्रतिशत टीडीएस लगाये जाने का आदेश जारी किया गया है। जिस कारण व्यापारी बन्धु कृषक बन्धुओं को किसी भी प्रकार नगद राशि का भुगतान करने मे असमर्थ रहेंगें। कृषक बन्धुओं का समस्त भुगतान आर.टी.जी.एस. एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से ही किया जायेगा।		
30.	**कृषि उपज मण्डी समिति आष्टा का पत्र कमाकं 1490 / 26.08.2019** कृषक बन्धुओं को उनकी कृषि उपज का भुगतान आर.टी.जी. एस. /एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से ही किया जायेगा। जबिक वारिष्ठालय द्वारा पूर्व से निर्देश प्राप्त है कि कृषको को उनकी कृषि उपज का भुगतान नगद रूपयें 2 लाख तक तथा शेष भुगतान आर.टी.जी.एस. एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से ही किया जाना है। अतः व्यापारी संघ द्वारा प्रस्तुत पत्र संलग्न कर अनुरोध है कि उक्त पत्र के संबंध मे उचित दिशा निर्देश देने का कष्ट करें। जिससे की मंडी विपणन कार्य सूचारू रूप से संपादित होता रहें।		

कमांक	विभिन्न व्यापारी संगठनों द्वारा उठाये गये बिन्दु।	कार्यवाही का विवरण	रिमार्क
31.	**कृषि उपज मण्डी समिति इंदौर का पत्र कमाकं 2752 / 26.08.2019** केन्द्र सरकार द्वारा 1 करोड़ रूपय की अधिक निकासी पर 2 प्रति. की दर से टी.डी.एस. लगाये जाने के कारण किसी भी कृषक को नगद भुगतान नही किया जावेगा। व्यापारी संघ द्वारा कृषकों की संपूर्ण कृषि उपज भुगतान आर.टी.जी.एस./एन.ई. एफ.टी. से करने हेतु लेख किया गया है।		
32.	**आंचलिक कार्यालय रीवा /19–20/2175 दिनाकं 20.08. 2019** सचिव कृषि उपज मण्डी समिति सतना को सम्बोधित कृषि उपज व्यापारी संघ सतना का पत्र 19.08.2019 जिसमें ई अनुज्ञा पोर्टल में भुगतान प्रविष्टी में जरूरी संशोधन हेतु, गल्ला, तिलहन व्यापारी संघ सतना का पत्र 10.08.2019 में कृषकों को कृषि उपज के नगद भुगतान दिए जाने के संबध मे एवं पत्र 19.08. 2019 में ई अनुज्ञा पोर्टल में भुगतान प्रविष्टि में जरूरी संशोधन हेतु लेख किया गया है।		

कमांक	विभिन्न व्यापारी संगठनों द्वारा उठाये गये बिन्दु।	कार्यवाही का विवरण	रिमार्क
33.	**कृषि उपज व्यापारी संध मण्डी सतना** 1 ई अनुज्ञा में भुगतान प्रविष्टी में बैंक द्वारा किए जाने पर भुगतान पत्रक में यूटीआर न0 भरने वाला कॉलम भर पाना संभव नही है बल्क पेमेंट की स्थिति ते यूटीआर न0 स्थिति में अलग अलग किसान को यूटीआर न0 भी नही मिल पाता है अतः यूटीआर न0 वाला कॉलम ई अनुज्ञा भुगतान पोर्टल से हटाए जाने का कृपा करें। 2 व्यापारी का जब तक स्टाक पोर्टल में नही दिखता तो व्यापारी अपने माल की निकासी भी नही कर पाएगा जिसके कारण व्यापारी एवं मडी का कार्य प्रभावित होगा 3 ई अनुज्ञा में एकजाई स्कंध प्रविष्टी का कोई कॉलम ही नही है जिसके होने की सूचना मंडी बोर्ड द्वारा बहुत समय तक ई अनुज्ञा की वेबसाईट में भी चलाई गई थी। अतः आपसे निवेदन है ई अनुज्ञा पोर्टल में स्कंध में एकजाई प्रविष्टी की सुविधा दी जाए		

कमांक	विभिन्न व्यापारो संगठनों द्वारा उठाये गये बिन्दु।	कार्यवाही का विवरण	रिमार्क
34.	**गल्ला तिलहन व्यापारी संघ मण्डी समिति सतना दिनांक 10.08.2019** केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में प्रावाधान किया गया है कि अपने बैंक खातें से एक करोड़ रूपये से अधिक नगद निकासी पर आयकर अधिनियम के संशोधन खण्ड (धारा 194N) के अन्तर्गत यह प्रावधान लागु होगा। उक्त नियम एक मुश्त निकासी ही नही बल्कि वित्तीय वर्ष मे कुल निकासी पर भी लागु होगा। संघ की कार्यकारिणी सभा ने निर्णय लिया है कि कुषि उपज मंडी में विक्रीत कषि उपजों का भुगतान पूर्ण रूप से आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से ही किया जायेगा।		

कमांक	विभिन्न व्यापारी संगठनों द्वारा उठाये गये बिन्दु।	कार्यवाही का विवरण	रिमार्क
35.	**गल्ला तिलहन व्यापारी संघ मण्डी समिति सतना दिनांक 19.08.2019** केन्द्र सरकार द्वारा लगातार बैंक द्वारा भुगतान को बढावा देने के उद्देश्य नए नए नियम ला रही है अतः किसानों को आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा। इस स्थिति मे आपके द्वारा ई अनुज्ञा पोर्टल में भुगतान प्रविष्टी में बैंक द्वारा किए जाने पर भुगतान पत्रक में युटीआर न0 भरने वाला कॉलम भर पाना संभव नही है, बल्क पेमेन्ट की स्थिति मे युटीआर न0 अलग अलग किसान का युटीआर न0 भी नही मिल पता अतः युटीआर न0 वाला कॉलम ई अनुज्ञा भुगतान पोर्टल से हटाए जाने की कृपा करें। 2 हमारे मडी मे कृ क की कृषि उपज डाक नीलामी द्वारा की जाती है। माल की तौल देर रात्री तक होती है, जिसके कारण उस तारीख में को आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. कर पाना संभव नही है, एसी स्थिति में व्यापारी एवं मडी का कार्य प्राभावित होगा, 3 ई अनुज्ञा मे एक जाई स्कंध प्रविष्टि का कोई कालम नही है, जिसके होने की सूचना मंडी बोर्ड द्वारा बहुत समय तक ई अनुज्ञा की वेबसाईट में भी चलाई गई थी, अतः हमें ई अनुज्ञा पोर्टल मे स्कंध में एकजाई प्रविष्टि की सुविधा दी जाए एवं भुगतान पत्रक की प्रविष्टि मंडी कर्मचारी द्वारा कराई जाए और भुगतान पत्रक एंट्री में युटीआर न0 वाला कॉलम हटाए जाने की कृपा करें।		

कमांक	विभिन्न व्यापारी संगठनों द्वारा उठाये गये बिन्दु।	कार्यवाही का विवरण	रिमार्क
36.	**कृषि उपज मण्डी समिति बैकुन्ठपुर एवं व्यापारी संलग्न का पत्र कमाकं 390 / 26.08.2019** उपरोक्त विषयार्न्तगत लेख कर अनुरोध है कि कृषि उपज मण्डी समिति बैकुन्ठपुर द्वारा संध की बैठक में किसानो की कृषि उपज का भुगतान आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी ट्रान्सफर से किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमे कारण बताया गया है कि केन्द्र सरकार द्वारा नगद राशि आहरण करने से 2 पतिशत टीडीएस काटने का नियम लागू किये जाने का लेख है।		